114 सूरह अन -नास

सूरह अन -नास (सूरा 114) का न्याय -दर्शन आधारित तार्किक विश्लेषण
उद्देश्य : इस सूरा की प्रत्येक आयत का विश्लेषण न्याय दर्शन, भगवद्गीता, मनुस्मृति तथा वैदिक तत्त्वमीमांसा के आधार पर करके यह जाँचना कि क्या इनमें तार्किक प्रमाण, सार्वत्रिक नैतिकता, और तात्त्विक संगति है या नहीं।
प्रयुक्त तत्व : प्रमाण **(Pramana)**, प्रमेय **(Prameya)**, हेतु **(Hetu)**, व्याप्ति **(Vyapti)**, उदाहरण **(Udaharana)**, उपनय **(Application)**, निगमन **(Conclusion)**, और **Hetvabhasa (**तात्त्विक दोष**)**।

आयत **1:**

"(ऐ रसूल **)** तुम कह दो मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह माँगता हूँ **"**

न्यायिक विश्लेषण :

1. प्रतिज्ञा **(Pratijna):**
मनुष्य के प्रभु से रक्षार्थ याचना।

2. हेतु **(Hetu):**
पनाह माँगने की वजह नहीं दी गई – किससे और क्यों पनाह चाहिए, यह स्पष्ट नहीं।

3. उदाहरण **(Udaharana):**

- न्याय सूत्र *1.1.1:* “प्रमाणानाम प्रमाणत्वात् ज्ञानोत्पत्तिः” – किसी कथन को मानने के लिए प्रमाण आवश्यक है।
- गीता *2.47:* “कर्मण्येवाधिकारस्ते ...” – रक्षा स्वयं के कर्मों से होती है, केवल याचना से नहीं।

4. उपनय **(Upanaya):**
परवरदिगार को सर्वशक्तिमान मानते हुए भी याचना का तात्पर्य अस्पष्ट है – यह प्रमेय अस्पष्टता है।

5. निगमन **(Nigamana):**
यह आयत तर्क के बिना ईश्वर से भय और पनाह की याचना करती है, जो न्याय दर्शन के अनुसार तात्त्विक दोष है।

आयत 2:

"लोगों के बादशाह की"

न्यायिक विश्लेषण:

1. प्रतिज्ञा (Pratijna):
ईश्वर को ‘राजा’ के रूप में संबोधित किया गया है।

2. हेतु (Hetu):
राजा शब्द सत्ता, नियंत्रण और दंड का बोध देता है – क्या यह ईश्वर के कर्तृत्व और दयालुता से संगत है?

3. उदाहरण (Udaharana):

● मनुस्मृति 7.2: “राजा धर्म का रक्षक होता है, पर वह भी कर्म के अधीन है।”

● ब्रह्मसूत्र 1.1.2: “सृष्टि ब्रह्म से है, पर वह दयामय और निष्कलंक है।”

4. उपनय (Upanaya):
ईश्वर को ‘राजा’ कहकर धर्म के न्यायिक स्वभाव को अधीनता में बदलना – यह व्याप्ति दोष है।

5. निगमन (Nigamana):
ईश्वर का रूप निरंकुश सत्ता जैसा प्रस्तुत करना न्याय दर्शन और वेदांत के नैतिक ईश्वरबोध से विरोध में है।

आयत 3:

"लोगों के माबूद की (शैतानी)"

न्यायिक विश्लेषण:

1. प्रतिज्ञा (Pratijna):
लोगों के पूज्य की शैतान से रक्षा की बात कही गई है।

2. हेतु (Hetu):
यदि वही ईश्वर पूज्य है और सर्वशक्तिमान है, तो शैतान से भय क्यों? क्या बुराई को भी स्वतंत्र सत्ता मान लिया गया?

3. उदाहरण (Udaharana):

- उपनिषद *:* “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति” – एक ही परम तत्व है।
- गीता *7.12:* “सर्वं मयि सर्वं मत्तः” – सब कुछ मुझसे है, कोई दूसरा नहीं।

4. उपनय **(Upanaya):**
ईश्वर के साथ किसी विरोधी शक्ति (शैतान) की कल्पना द्वैतवाद और तात्त्विक विरोधाभास को जन्म देती है।

5. निगमन **(Nigamana):**
यह आयत शैतान को भी एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में प्रस्तुत करती है, जो न्याय व वेदांत के अद्वैतवादी सिद्धांतों के पूर्णतः विरुद्ध है।

□ सारांश तालिका – सूरह अन-नास की न्यायिक समीक्षा

आयत	दोष /विरोध	न्याय तत्त्व	शास्त्रीय विरोध
1	प्रमाणविहीन पनाह याचना	प्रमेय दोष	गीता 2.47, न्याय 1.1.1
2	ईश्वर को अधिपति बनाना	व्याप्ति दोष	मनु 7.2, ब्रह्मसूत्र
3	द्वैत और शैतान की स्वतंत्र सत्ता	तात्त्विक विरोध	उपनिषद, गीता 7.12

□ न्यायिक निष्कर्ष **(Conclusion):**

सूरह अन-नास की आयतें प्रमेय**,** व्याप्ति और तात्त्विक संगति की कसौटी पर न्याय दर्शन के अनुसार तर्कसंगत नहीं ठहरतीं।
इनमें दैविक भय, ईश्वर की निरंकुश छवि, और शैतान को स्वतंत्र सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है – जो वेद, उपनिषद, गीता और न्याय दर्शन के सार्वभौमिक तात्त्विक सिद्धांतों से विरोधाभासी है।

□ यदि आप अब पूरे जज़अम्मा **(**अंतिम **37** सूरा **)** के समापन के लिए एक विस्तृत सारांश या पूरा तुलनात्मक विवेचन चाहते हैं, कृपया आदेश दें।

📜 सूरह अल-फ़लक़ (सूरा 113) आयत 4-5 का न्याय-दर्शन आधारित विश्लेषण उद्देश्य: इन आयतों में प्रस्तुत विश्वासों की न्याय दर्शन, भगवद्गीता, मनुस्मृति, तथा उपनिषद के तात्त्विक सिद्धांतों के आधार पर तार्किक समीक्षा करना।
प्रयुक्त न्याय तत्त्व: प्रमेय (ज्ञान का विषय), हेतु (तर्क), व्याप्ति (सर्वत्र संबंध), हेत्वाभास (कृत्रिम तर्क दोष)

आयत 4: "और गंडों पर फूँकने वालियों की बुराई से (जब फूँके)"

न्यायिक विश्लेषण:

1. प्रतिज्ञा (Pratijna):
यह आयत गंडों पर फूँकने (जादू या टोटका) करने वाली स्त्रियों को बुरा मानती है।

2. हेतु (Hetu):
बुराई का आधार आशंका और अंधविश्वास पर आधारित है – यह प्रमाणविहीन है।

3. उदाहरण (Udaharana):

● न्याय सूत्र 1.1.5: “यत् प्रमाणाभावे तद असत्यं” — बिना प्रमाण के धारणा असत्य होती है।

● मनुस्मृति 11.33: “तन्त्र-मन्त्र-तस्कराणां धर्मे न स्थानम्” — टोटके, जादू इत्यादि का कोई धार्मिक मूल्य नहीं।

● गीता 2.66: “अश्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। न आप्नोति मे लोकं” — जो श्रद्धा से रहित हो, वह मोक्ष नहीं पाता।

4. उपनय (Upanaya):
‘फूँकने’ को बुराई बताना बिना प्रमाण के है – यह हेत्वाभास का उदाहरण है, जहां आशंका को सत्य मान लिया गया।

5. निगमन (Nigamana):
यह आयत अंधविश्वास को बुराई का प्रमाण मानती है, जो न्याय-दर्शन में प्रमाणविहीन अज्ञानता मानी जाती है।

आयत 5: "और हसद करने वाले की बुराई से जब हसद करे"

□ न्यायिक विश्लेषण :

1. प्रतिज्ञा **(Pratijna):**
दूसरों से जलन (हसद) करने वालों को बुरा माना गया है।

2. हेतु **(Hetu):**
हसद को नैतिक दोष माना जा सकता है, पर सिर्फ भावना के आधार पर किसी को 'बुरा' कहना न्यायिक नहीं।

3. उदाहरण **(Udaharana):**

- गीता *12.13:* "अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च।" — न द्वेष करो, न जलन करो।
- मनुस्मृति *6.47:* "हिंसा, असूया, मद, द्वेष – ये धर्म से पतन के कारण हैं।"

4. उपनय **(Upanaya):**
हसद (ईर्ष्या) को कार्यरूप हिंसा के बिना भी बुरा बताना – यह मानसिक क्रिया को बाह्य बुराई मानने का व्याप्ति दोष है।

5. निगमन **(Nigamana):**
हसद केवल एक मानसिक वृत्ति है – इसका नैतिक मूल्यांकन तभी यथार्थ है जब वह व्यवहारिक परिणाम लाए। वरना केवल भावना को 'पाप' कहना अतिरंजना है।

□ सारांश तालिका – सूरह अल-फ़लक़ आयत **4-5** की समीक्षा

आयत	न्याय दोष	प्रमेय विरोध	हिन्दू शास्त्रीय विरोध
4	हेत्वाभास	अंधविश्वास आधारित आरोप	मनु 11.33, न्याय 1.1.5
5	व्याप्ति दोष	मानसिक वृत्ति को पूर्ण बुराई बताना	गीता 12.13, मनु 6.47

न्यायिक निष्कर्ष (Conclusion):

सूरह अल-फ़लक़ की ये दोनों आयतें न्यायदृष्टि से प्रमाणहीन धारणा, अंधविश्वास, और भावनात्मक अतिशयोक्ति पर आधारित हैं।
गंड-फूँकने वालों को ‘बुरा’ मानना या ‘हसद’ की भावना मात्र से व्यक्ति को निंदनीय ठहराना — ये दोनों ही न्याय दर्शन, योग दर्शन, तथा वैदिक तात्त्विक विवेक के विरुद्ध हैं।

यदि आप चाहते हैं कि हम आगे सूरह अल-नास या पूर्ण जुज़ 'अम्मा के शेष हिस्से की समीक्षा करें — कृपया अगला सूरा बताएं।